

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 772/2016

संस्थापित दिनांक 07/12/2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. सोबरन पुत्र केदार सिंह उम्र 30 वर्ष
 2. ताराचंद पुत्र केदार सिंह उम्र 45 वर्ष
 3. लालसिंह उर्फ झुका पुत्र द्वारिका प्रसाद उम्र 25 वर्ष
- समस्त निवासीगण- हबीपुरा थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा- 294, 323, 323/34, 506 भाग-2 भा0द0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ- श्रीमती हेमलता आर्य।)

(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता- श्री एम0एल0 मुदगल।)

::- निर्णय :-

(आज दिनांक 22.05.2018 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 18.06.2016 को 11:00 बजे फरियादी मुन्नीदेवी के मकान के सामने हबीपुरा गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी मुन्नीदेवी मां बहन को अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी मुन्नीदेवी को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी मुन्नी देवी एवं आहत गंगादेवी की थप्पड़ों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भा0द0सं0 की धारा 294, 323, 323/34 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक से 15 दिन पहले फरियादी मुन्नीदेवी की बछिया आरोपी केदारसिंह ने बांध ली थी। घटना दिनांक 18.06.2016 को सुबह करीबन 11 बजे बछिया छूटकर उसके घर आ गई थी तो उसने बछिया को बांध लिया था इसी बात पर आरोपी ताराचंद, केदार, सोबरन, झुका उर्फ लालसिंह उसके दरबाजे पर आ गये थे। चारों आरोपीगण उसे उसे मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगे थे झुका ने उसकी गर्दन पकड़कर उसके थप्पड़ मारे थे उसे बचाने उसकी लड़की गंगा आई थी तो आरोपी ताराचंद एवं सोबरन ने गंगा की भी थप्पड़ों से मारपीट की

थी। मौके पर अशोक गुर्जर एवं रामनिवास गुर्जर ने बीच बचाव किया था। आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क्र० 155/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विचारण के दौरान आरोपी केदार सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है।

5. द०प्र०सं० की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में रंजिशन झूठा फंसाया गया है।

6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 18.06.2016 को 11 बजे फरियादी मुन्नीदेवी के मकान के सामने हबीपुरा गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी मुन्नीदेवी को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसें व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी मुन्नीदेवी को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
3. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी मुन्नीदेवी एवं आहत गंगादेवी की थप्पड़ो से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की ?

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी मुन्नी अ०सा० 1, आहत गंगा अ०सा० 2, अशोक अ०सा० 3, रामनिवास अ०सा० 4 एवं प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3

8. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

9. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी मुन्नी अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक साल पहले की दोपहर

के 10-11 बजे की है। उसकी गाय भाग गई थी जो लगभग दस माह बाद लौटकर उसके घर आई थी तो उसके लड़के सूरज ने कहा था कि अपनी गाय लौट आई है, उसे बांध लो। गाय दस दिन उसके घर पर बंधी रही थी। आरोपी लालसिंह, ताराचंद, सोबरन और केदार ने लोगों से कहा था कि सूरज ने हमारी गाय बांध ली है उसने गांव वालों से कहा था कि उसकी गाय उसके घर आई थी तो उसने बांध ली थी। फिर उसने पंचायत जोड़ी थी, पंचायत ने कहा था कि मंदिर पर गाय बांध दो, जिसकी हो वह खोल ले। आरोपीगण ने मंदिर पर सौगंध खाने से मना कर दिया था और मारपीट करने के लिए कहा था। इसके बाद आरोपी लालसिंह, ताराचंद, सोबरन और केदार उसके दरवाजे पर आ गये थे उसकी लड़कियों ने दरवाजे बंद कर लिये थे तो आरोपीगण दरवाजा खोलकर अंदर घुस गये थे और उसकी गाय खोल ले गये थे फिर दूसरे दिन उसकी गाय उसके घर आई थी तो उसने गाय फिर से बांध ली थी फिर आरोपीगण चुपचाप उसकी गाय के बदले उसकी बकरी खोल ले गये थे। फिर आरोपीगण ने बकरी छोड़ दी थी और उसकी मारपीट की थी। आरोपीगण ने उसके घर के पीछे आकर उसकी मारपीट की थी। सोबरन ने उसका गला पकड़कर उसे पटक दिया था ताराचंद ने उसे मारने के लिए कहा था फिर उसकी बेटी गंगा बचाने आई थी तो लालसिंह ने उसकी बेटी गंगा को धक्का दे दिया था। मारपीट में उसके पैर में चोट आई थी उसका मेडीकल हुआ था उसने गोहद थाने में रिपोर्ट लिखाई थी रिपोर्ट प्र0पी0 1 है जिस पर उसने निशानी अंगूठा लगाया था नक्शामौका प्र0पी0 2 है जिस पर उसने निशानी अंगूठा लगाया था।

10. प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से पुराना झगड़ा चल रहा है। झगड़ा घर के अंदर हुआ था। उसने पुलिस को झगड़े में लाठियां लेकर आने वाली बात बता दी थी अगर पुलिस ने न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती है। उसे लाठियां सोबरन ने मारी थी जो उसके पैर में लगी थी। उसका मेडीकल 12 बजे हुआ था। पद क्र0 5 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसके इस झगड़े में कोई चोट नहीं आई थी लेकिन आगे जो झगड़ा हुआ था उसमें चोट आई थी। दामोदर लहारिया ने आरोपीगण को झगड़े के पहले दिन ही भगा दिया था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि दामोदर लहारिया ने आरोपीगण को समझा दिया था।

11. आहत गंगा अ0सा0 2 ने भी फरियादी मुन्नी अ0सा0 1 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपीगण द्वारा उनकी मारपीट करने बातव प्रकटीकरण किया है।

12. साक्षी अशोक अ0सा0 3 एवं रामनिवास अ0सा0 4 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त दोनों साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने फरियादी मुन्नी एवं गंगा की मारपीट की थी। साक्षी अशोक अ0सा0 3 ने प्र0पी0 3 का पुलिस कथन एवं रामनिवास ने अ0सा0 4 ने प्र0पी0 4 का पुलिस कथन पुलिस को देने से इंकार किया है।

13. प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ0सा0 5 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है।

14. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं, अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

15. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी मुन्नी अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि घटना से पूर्व उसके गाय भाग गई थी जो दस माह बाद उसके घर लौटकर आई थी तो उसने अपनी गाय को बांध लिया था तो आरोपीगण ने लोगों से कहा था कि सूरज ने उसकी गाय बांध ली है फिर उसने पंचायत जोड़ी थी एवं पंचायत ने मंदिर से गाय खोलने के लिए कहा था परन्तु आरोपीगण ने मंदिर पर जाने से मना किया था एवं मारपीट करने के लिए कहा था इसके बाद आरोपीगण उसके घर आ गये थे तो उसकी लड़कियों ने दरवाजे बंद कर लिये थे। आरोपीगण दरवाजा खोलकर उसके घर के अंदर घुस आये थे एवं उसकी गाय खोल ले गये थे परन्तु इन सभी तथ्यों का उल्लेख प्र०पी० 1 की पुलिस रिपोर्ट एवं फरियादी मुन्नी देवी के पुलिस कथन में नहीं है। फरियादी मुन्नी देवी अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि आरोपीगण उसके घर के अंदर घुस आये थे एवं उसकी गाय खोलकर ले गये थे परन्तु उक्त तथ्य का उल्लेख प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं फरियादी मुन्नी देवी के पुलिस कथन में नहीं है। फरियादी मुन्नी अ०सा० 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह भी बताया गया है कि दूसरे दिन उसकी गाय उसके घर पर आई थी तो उसने गाय बांध ली थी फिर आरोपीगण चुपचाप उसकी गाय के बदले उसकी बकरी खोलकर ले गये थे फिर आरोपीगण ने बकरी छोड़ दी थी और उसकी मारपीट की थी परन्तु उक्त तथ्य का भी उल्लेख प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं फरियादी मुन्नी देवी के पुलिस कथन में नहीं है। फरियादी मुन्नी देवी अ०सा० 1 के कथनों से यह दर्शित है कि फरियादी मुन्नी देवी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के विपरीत कथन दिये गये हैं एवं न्यायालय के समक्ष अपने कथन में एक नई घटना बताई गई है, ऐसी स्थिति में फरियादी मुन्नी देवी अ०सा० 1 के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

16. फरियादी मुन्नी देवी अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि आरोपीगण उसके घर के पीछे आये थे एवं आरोपीगण ने घर के पीछे उसकी मारपीट की थी जबकि प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि झगड़ा घर के अंदर हुआ था। इस प्रकार फरियादी मुन्नी देवी अ०सा० 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपीगण द्वारा घर के पीछे मारपीट करना बताया है तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादिया मुन्नी देवी ने झगड़ा घर के अंदर होना बताया है जबकि प्र०पी० 1 के प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटनास्थल फरियादी के मकान के सामने वर्णित है तथा प्र०पी० 2 के नक्शेमौके में भी घटनास्थल फरियादी के मकान के सामने रोड़ पर होना वर्णित है, इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी मुन्नी देवी अ०सा० 1 के कथन न केवल अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं बल्कि प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्र०पी० 2 के नक्शेमौके से भी पुष्ट नहीं रहे हैं। प्रकरण में आई साक्ष्य से घटनास्थल के संबंध में भी विरोधाभास है। यह तथ्य भी सम्पूर्ण अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

17. फरियादी मुन्नी अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी सोबरन ने उसका गला पकड़ लिया था तथा ताराचंद ने उसे मारने के लिए कहा था जबकि

प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार झुका उर्फ लालसिंह ने उसकी गर्दन पकड़ी थी। फरियादी मुन्नी ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि जब उसकी बेटी गंगा बचाने आई थी तो लालसिंह ने उसे धक्का दिया था परन्तु इस तथ्य का उल्लेख प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार ताराचंद एवं सोबरन ने आहत गंगा की थप्पड़ों से मारपीट की थी इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी फरियादी मुन्नी देवी अ०सा० 1 के कथन प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी मुन्नी अ०सा० 1 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि झगड़ा घर के अंदर हुआ था और सोबरन ने उसके पैर में लाठी मारी थी परन्तु इस तथ्य का उल्लेख भी प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं फरियादी मुन्नी देवी के पुलिस कथन में नहीं है। प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह वर्णित नहीं है कि आरोपीगण लाठिया लेकर आये थे एवं सोबरन ने फरियादी मुन्नी देवी के पैर में लाठी मारी थी इस प्रकार फरियादी मुन्नी देवी के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त बिन्दु पर भी फरियादी मुन्नीदेवी अ०सा० 1 के कथन प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी मुन्नी देवी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथनों को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

18. फरियादी मुन्नी अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह भी बताया है कि मारपीट में उसके पैर में चोट आई थी एवं उसका मेडीकल हुआ था तथा यह भी बताया है कि उसका मेडीकल 12 बजे हुआ था। इस प्रकार फरियादी मुन्नी देवी अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह भी बताया है कि मारपीट में उसके पैर में चोट आई थी एवं उसका मेडीकल हुआ था परन्तु ऐसी कोई मेडीकल रिपोर्ट अभिलेख में संलग्न नहीं है। फरियादी मुन्नीदेवी के पुलिस कथन में यह वर्णित है कि उसने अपना मेडीकल स्वेच्छा से नहीं कराया है तथा मुलाहिजा फॉर्म में भी मुन्नीदेवी द्वारा स्वेच्छा से मेडीकल न कराना वर्णित है जबकि मुन्नी देवी अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में मारपीट के समय उसके पैर में चोट आना तथा उसका मेडीकल होना बताया है परन्तु उक्त संबंध में कोई चिकित्सकीय प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं फरियादी मुन्नीदेवी के कथन में यह वर्णित नहीं है कि झगड़े के दौरान मुन्नीदेवी के शरीर में चोट आई थी इसके विपरीत मुन्नी देवी के पुलिस कथन एवं मुलाहिजा फॉर्म से यही दर्शित होता है कि मुन्नीदेवी के कोई चोट नहीं थी इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी फरियादी मुन्नी अ०सा० 1 के कथन प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन से विरोधाभासी रहे हैं जो कि फरियादी मुन्नीदेवी अ०सा० 1 के कथनों की सत्यता के प्रति संदेह उत्पन्न कर देते हैं।

19. फरियादी मुन्नीदेवी अ०सा० 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में तो यह बताया है कि झगड़े के दौरान उसके पैर में चोट आई थी तथा प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 3 में उसने यह बताया है कि उसका मेडीकल हुआ था परन्तु प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 5 में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके इस झगड़े में कोई चोट नहीं आई थी, आगे जो झगड़ा हुआ था उसमें चोट आई थी। इस प्रकार फरियादी मुन्नी देवी अ०सा० 1 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्त्विक बिन्दु पर अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। उक्त साक्षी द्वारा कभी तो यह बताया गया है कि मारपीट में उसके चोट आई थी एवं कभी यह बताया गया है कि उक्त घटना में उसके चोट नहीं आई थी इस प्रकार उक्त साक्षी द्वारा एक ही समय में एक ही बिन्दु पर परस्पर विरोधाभासी कथन दिये गये हैं। फरियादी मुन्नी देवी अ०सा० 1 अपने परीक्षण के दौरान अपने कथनों पर स्थिर नहीं रही है ऐसी स्थिति में फरियादी मुन्नीदेवी अ०सा० 1 के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

20. फरियादी मुन्नी देवी अ0सा0 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 5 में यह भी बताया है कि दामोदर लहारिया ने आरोपीगण को झगड़े के पहले ही भगा दिया था एवं दामोदर लहारिया ने आरोपीगण को समझा दिया था। इस प्रकार मुन्नी देवी अ0सा0 1 द्वारा यह भी बताया गया है कि दामोदर लहारिया ने आरोपीगण को समझा दिया था एवं झगड़ा होने के पहले ही भगा दिया था यदि फरियादी के कथनानुसार दामोदर लहारिया ने आरोपीगण को झगड़ा होने के पूर्व ही वहां से भगा दिया था तो फिर फरियादी मुन्नी देवी का झगड़ा आरोपीगण से किस प्रकार हुआ था तथा आरोपीगण झगड़ा होने के पूर्व ही वहां से चले गये थे तो उनके द्वारा फरियादी की मारपीट किस प्रकार की गई थी। उक्त संबंध में कोई स्पष्टीकरण फरियादी मुन्नीदेवी द्वारा नहीं दिया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

21. जहां तक आहत गंगा अ0सा0 2 के कथन का प्रश्न है तो आहत गंगा अ0सा0 2 ने अपने कथन में यह बताया है कि चारों आरोपीगण ने घर में घुसकर उसकी मां की डंडो से मारपीट की थी एवं जब उसने आरोपीगण को गालियां दी थी तो चारों आरोपीगण ने उसे भी डंडो से मारा था। इस प्रकार आहत गंगा अ0सा0 2 ने भी आरोपीगण द्वारा उसकी व उसकी मां की डंडो से मारपीट करना बताया है परन्तु इस तथ्य का उल्लेख न तो प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही आहत गंगा के पुलिस कथन में है। इस प्रकार गंगा अ0सा0 2 के कथनों से भी यही दर्शित होता है कि आहत गंगा अ0सा0 2 के कथन भी उसके पुलिस कथन से विरोधाभासी रहे हैं। गंगा अ0सा0 2 ने अपने कथन में यह बताया है कि मारपीट में उसके हाथ व पैर में चोट आई थी तथा उसके मां के जांघ, हाथ व पीठ में चोट आई थी परन्तु उक्त तथ्य का उल्लेख आहत गंगा के पुलिस कथन में नहीं है। आहत गंगा अ0सा0 2 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि झगड़ा उसके घर के अंदर हुआ था तथा आरोपीगण पत्थर लाठिया, डंडे लेकर आये थे एवं उसकी तथा उसकी मां की मारपीट की थी तथा मारपीट में लालसिंह ने उसकी मां के सिर में लाठी मारी थी एवं उसकी मां का सिर फट गया था तथा उसकी मां का मेडीकल गोहद में हुआ था। उसकी मां झगड़े में बेहोश हो गई थी परन्तु उक्त सभी तथ्यों का उल्लेख भी प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आहत गंगा के पुलिस कथन में नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुओं पर भी आहत गंगा अ0सा0 2 के कथन उसके पुलिस कथन से विरोधाभासी रहे हैं।

22. आहत गंगा अ0सा0 2 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपीगण ने उसकी व उसकी मां की डंडो से मारपीट की थी परन्तु यह बात फरियादी मुन्नी अ0सा0 1 द्वारा नहीं बताई गई है। गंगा अ0सा0 2 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि लालसिंह ने उसकी मां के सिर में लाठी मारी थी परन्तु यह बात स्वयं फरियादी मुन्नी अ0सा0 1 द्वारा नहीं बताई गई है। आहत गंगा अ0सा0 2 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि मारपीट में उसकी मां का सिर फट गया था एवं उसकी मां बेहोश हो गई थी परन्तु यह बात स्वयं फरियादी मुन्नी अ0सा0 1 द्वारा नहीं बताई गई है। इस प्रकार गंगा अ0सा0 2 के कथनों से यह दर्शित है कि गंगा अ0सा0 2 के कथन तात्त्विक बिन्दुओं पर फरियादी मुन्नी अ0सा0 1 के कथन से भी विरोधाभासी रहे हैं। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

23. जहां तक साक्षी अशोक अ0सा0 3 एवं रामनिवास अ0सा0 4 के कथन का प्रश्न है तो उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये

जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षीगण के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

24. उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी मुन्नी देवी अ0सा0 1 एवं गंगा अ0सा0 2 के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्त्विक बिन्दुओं पर अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी मुन्नी देवी अ0सा0 1 के कथन तात्त्विक बिन्दुओं पर प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट नहीं रहे हैं। फरियादी मुन्नी अ0सा0 1 एवं गंगा अ0सा0 2 ने झगड़े के दौरान उसके शरीर पर चोटे होना बताया है एवं फरियादी मुन्नी अ0सा0 1 ने उसका मेडीकल होना भी बताया है परन्तु ऐसी कोई मेडीकल रिपोर्ट अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। यद्यपि भा0दं0सं0 की धारा 323 को प्रमाणित होने के लिए चिकित्सकीय प्रमाण की आवश्यकता नहीं है परन्तु फरियादी एवं आहत का यह दायित्व था कि वह न्यायालय में सत्य कथन करते। फरियादी मुन्नी अ0सा0 1 एवं गंगा अ0सा0 2 के जो मुलाहिजा फॉर्म अभिलेख में संलग्न है उसमें यह वर्णित है कि फरियादी एवं आहत द्वारा स्वेच्छा से मेडीकल नहीं कराया गया है इससे यही प्रकट होता है कि फरियादी मुन्नी एवं आहत गंगा को कोई चोटे नहीं थी जबकि फरियादी मुन्नी अ0सा0 1 एवं गंगा अ0सा0 2 ने न्यायालय के समक्ष मारपीट के दौरान उनके शरीर पर चोटे आना बताया गया है तथा यह भी बताया गया है कि उनका मेडीकल हुआ था। आहत गंगा अ0सा0 2 ने तो यहां तक बताया है कि मारपीट के दौरान उसकी मां मुन्नी का सिर फट गया था एवं वह मौके पर बेहोश हो गई थी जबकि यह अभियोजन की कहानी नहीं है। इस प्रकार मुन्नी अ0सा0 1 एवं गंगा अ0सा0 2 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथनों को अत्यंत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। स्वतंत्र साक्षी अशोक अ0सा0 3 एवं रामनिवास अ0सा0 4 द्वारा भी फरियादीगण के कथनों का समर्थन नहीं किया गया है। फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य पूर्व से रंजिश विद्यमान है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि फरियादीगण द्वारा रंजिशन आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया हो। प्रकरण में आई साक्ष्य से अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

25. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।

26. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 18.06.2016 को 11:00 बजे फरियादी मुन्नीदेवी के मकान के सामने हवीपुरा गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी मुन्नीदेवी मां बहन को अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, फरियादी मुन्नीदेवी को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी मुन्नी देवी एवं आहत गंगादेवी की थप्पड़ों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए आरोपी लालसिंह उर्फ झुका, सोबरन सिंह एवं ताराचंद को भा0दं0सं0 की धारा 294, 323, 323/34 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

27. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।
28. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 22/05/2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)